



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 29.04.2025

1.थाना फेस 3 पुलिस द्वारा अवैध गांजे की बिक्री करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 किलोग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- थाना फेस 3 पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना व इलैक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 29.04.2025 को अभियुक्तगण 1. योगेन्द्र प्रताप पुत्र शिवनन्दन सिंह 2. अरुण उर्फ कन्हैया पुत्र ब्रजनन्दन चौहान को ग्रीन बैल्ट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 05 किलोग्राम अवैध गांजा व 02 मोबाईल फोन व तस्करी में प्रयुक्त मो0 सा0 रजि0नं0 यूपी 16 डीडी 0890 सीजशुदा बरामद हुयी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण उच्चकोटि के माल को शिलांग व पूर्वांचल राज्यों से लाते थे। यह लोग ग्राहक की मांग के अनुसार माल को एक प्रतिष्ठित कंपनी के रैपर में पैक करके विभिन्न डिलिवरी कम्पनियों के माध्यम से पोर्टर/पार्सल पर बुक करके उस डिलिवरी बॉय के माध्यम से भेजते थे जिसका भुगतान ऑनलाईन स्केनर के माध्यम से ले लेते थे। यह फिनो पेमेंट बैंक में अन्य व्यक्तियों का खाता खुलवाते हैं व उनका एटीएम अपने पास रखते हैं और उस एटीएम का इस्तेमाल करके रुपये निकाल लेते हैं। बैंक खातों के सम्बन्ध में जाँच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. योगेन्द्र प्रताप पुत्र शिवनन्दन सिंह नि0-ग्रा रोहली थाना तालग्राम जनपद कन्नोज हाल पता ग्रा0 गढीगोलचक्कर सै0-121 नोएडा उम्र 26 वर्ष
2. अरुण उर्फ कन्हैया पुत्र ब्रजनन्दन चौहान नि0-ग्रा रोहली थाना तालेग्राम जनपद कन्नौज हाल पता ग्रा0 गढी गोलचक्कर सै0-121 नोएडा उम्र 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 179/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 05 किलोग्राम अवैध गांजा (करीब 02 लाख 50 हजार रुपये)
2. 02 मोबाईल फोन
3. तस्करी में प्रयुक्त मो0 सा0 रजि0नं0 यूपी 16 डीडी 0890

2.थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा NCR क्षेत्र में घरों व दुकानों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटरसाइकिल व 01 अवैध चाकू बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 29.04.2025 को थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना की सहायता से चैंकिंग के दौरान मैट्रो स्टेशन सै0-81 के पास से NCR क्षेत्र में घरों व दुकानों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त ब्रिजेश पुत्र मोहन यादव को गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। इनके कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटरसाइकिल (भिन्न-भिन्न कम्पनी की) व अभियुक्त ब्रिजेश के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का चोर है, जो घूम-फिरकर एनसीआर क्षेत्र में रात्रि में घरों व दुकानों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करते है।

1. ये सभी शातिर किस्म के चोर है, जो कमिश्नर गौतमबुद्धनगर व अन्य जनपद में घूम फिरकर किराये के मकान में रह रहे लोगो द्वारा बाहर खड़ी की गयी मोटरसाइकिल को टारगेट करके मौका देखकर चोरी कर लेते है।
2. इन सभी के द्वारा NCR क्षेत्र में चोरी की घटना कारित की जाती है तथा पकड़े जाने के डर से अपने पास अवैध हथियार (चाकू) रखते है।
3. ये सभी अलग-अलग राज्यों/जनपदों से आकर नोएडा NCR क्षेत्र में दुपहिया वाहन चोरी की घटना को अन्जाम देते है।
4. ये सभी पकड़े जाने के डर से एक जगह न रहकर निरंतर स्थान बदलते रहते हैं तथा एक जगह टिक कर नहीं रहते।
5. ये सभी पकड़े जाने के डर से केवल व्हाट्सएप का प्रयोग करते है ताकी पुलिस इनको ट्रैक न कर सके।
6. यह सभी अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग जगह किराये के मकान में रहते है, जो एक साथ मिलकर नोएडा NCR क्षेत्र मे चोरी की घटना को अन्जाम देते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. ब्रिजेश पुत्र मोहन यादव निवासी सी ब्लॉक, सेक्टर-19, नोएडा, मूल पता मोहन छपरा, थाना टिकार, जिला बलिया उम्र 20 वर्ष, शिक्षा-12th

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 204/2025 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. मोटरसाइकिल पेशन प्रो रंग काला रजिस्ट्रेशन नम्बर DL5SCN2897
2. CBZ-XPRIME रजि0 नंबर UP30S0459 रंग काला

3. डिस्कवर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं UP16AL6216 रंग काला गोल्ड
4. मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना

3.थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 29.04.2025 को थाना सेक्टर-20 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त सन्नी पुत्र गुरमीत सिंह को गंगा अपार्टमेन्ट सेक्टर-29 के पीछे, नाले की पुलिया के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. सन्नी पुत्र गुरमीत सिंह निवासी कल्याणपुरी, थाना कल्याणपुरी, दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 123/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 40/2015 धारा 186/353/324/34 भादवि थाना कल्याणपुरी, दिल्ली।
3. मु0अ0सं0 47/2019 धारा 392/397/411/34 भादवि थाना कल्याणपुरी, दिल्ली।
4. मु0अ0सं0 170/2012 धारा 308/34 भादवि थाना कल्याणपुरी, दिल्ली।
5. मु0अ0सं0 1010/2023 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कल्याणपुरी, दिल्ली।
6. मु0अ0सं0 767/2017 धारा 379/41/34 भादवि थाना शकरपुर, दिल्ली।
7. मु0अ0सं0 306/2020 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना शकरपुर, दिल्ली।

बरामदगी का विवरण--

1. एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस

4.थाना दादरी पुलिस व स्वाट टीम ग्रेटर नोएडा द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अवैध शराब की तस्करी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 74 पेटी अंग्रेजी शराब (कीमत करीब 15 लाख रुपये) तथा तस्करी में प्रयुक्त दो लग्जरी गाड़ी बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 29.04.2025 को थाना दादरी पुलिस व स्वाट टीम ग्रेटर नोएडा द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अवैध शराब की तस्करी करने वाले 04 अभियुक्त 1.सूरज पुत्र विनोद 2.अमित पुत्र महेश चन्द 3.अमित पुत्र लक्ष्मी सिंह 4.अमित पुत्र संजय सिंह को नंगला नैनसुख की तरफ जाने वाले रास्ते से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 74 पेटी अंग्रेजी शराब ऑफीसर्स च्वाइस ब्लू हरियाणा राज्य मार्का (कीमत करीब 15 लाख रुपये) तथा क्रेटा गाड़ी नं0 डीएल 9 सी.ए.वाई 0717 व एमजी हेक्टर गाड़ी रजि नं0 एचआर 98 7622 बरामद हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. सूरज पुत्र विनोद चौधरी निवासी मौहल्ला मलिक चौक सुपौल, थाना सुपौल, जिला सुपौल बिहार उम्र 28 वर्ष।
2. अमित पुत्र महेश चन्द निवासी ग्राम पटा, थाना मुरसान, जिला हाथरस उम्र 21 वर्ष।
3. अमित पुत्र लक्ष्मी सिंह निवासी ग्राम वाद, थाना सादाबाद, जिला हाथरस उम्र 25 वर्ष।
4. अमित पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम समयपुर बादली, नियर प्राइमरी रोड बादली दिल्ली 42 उम्र।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 221/2025 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 74 पेटी अंग्रेजी शराब ऑफीसर्स च्वाइस ब्लू हरियाणा राज्य मार्का (कीमत करीब 15 लाख रुपये)
2. क्रेटा गाड़ी नं0 डीएल 9 सी.ए.वाई 0717
3. एमजी हेक्टर गाड़ी रजि नं0 एचआर 98 7622